# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 31/2025

श्री महेन्द्र कुमार मीणा निवासी वार्ड न. 06 देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक** 01.05.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा नये नियुक्त सहायक आचार्य के लिए चरित्र और पूर्ववर्त सत्यापन के लिए 11.07.2023 (सलग्न प्रति) को जारी करके चरित्र सत्यापन चाहा गया था जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को प्राप्त नहीं हुआ है

अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे चरित्र सत्यापन कि रिपोर्ट कि प्रति प्रदान करके अनुग्रहित करे जिससे परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर वेतन नियतन/स्थायीकरण समय पर हो सके ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 490 दिनांक 03.04.2025 व 534 दिनांक 15.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 415 दिनांक 17.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 9348 दिनांक 25.02.2025 से सूचना के संबंध में अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)